निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 20 वर्ष 2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,लक्सर, जनपद हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर, हरिद्वार के माह **08/2019 से 08/2020**तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपक मालवीय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,श्री लक्ष्मण सिंह,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीएवं श्री सत्यबीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक **05/09/2020 से 16/09/2020**तक श्री सुधीर श्रीवास्तव,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालीन पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस खंड की पूर्व लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, स0ले0प0 अधि0,श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक तथा श्री संदीप कुमार,व0 लेखा परीक्षक द्वारा श्री जगमोहन सिंह रावत,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक **24.08.2019 से 31.08.2019** तक सम्पादित की गयी एवं लेखापरीक्षा में माह**11/2017 से 07/2019** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी।

(i)इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग, लक्सर, जनपद-हरिद्वार** के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र लक्सर, खानपुर एवं मंगलौर के अन्तर्गत होने वाले सड़क एव सेतु के नव निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)		बचत/समर्पण (-)	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना
2018-19	-	-	388.97	380.96	3122.87	3110.25	-	-	8.01	12.62
2019-20	-	-	370.86	370.47	2770.97	2528.22	-	-	0.39	242.75
2020-21 (upto 08/20)	-	-	3.30	0.72	922.63	649.40	-	-	प्रगति पर	प्रगति पर

टिप्पणी:(i) *वर्षांत में अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाती है।*

(ii)खंड द्वारा बताया गया कि वर्ष 2019-20 से IFMS लागू होने के उपरांत वेतन आदि मदों का भुगतान IFMS Global Budget द्वारा किया जा रहा है।

(ii) (ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य(+)	बचत(-)
2018-19	-	-	-	-	-	-
2019-20	-	-	-	-	-	-
2020-21 (08/20 तक)	-	-	-	-	-	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए **इकाई "A" श्रेणी** की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर-1,लोक निर्माण विभाग,देहरादून

अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, लक्सर

2. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **10/2019** को विस्तृत जांच हेतु एवं **"राज्य योजना 2017-18 (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-408/2017) के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम सुल्तानपुर से ग्राम नेहन्दपुर होते हुये ग्राम भिक्कमपुर तक मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य"** को विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

3. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

4. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में खंड का **निरीक्षण नहीं** किया गया।

5. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह **03/2020** तथा **09/2019** तक की गई।

6. फार्म 51: माह 03/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम : शून्य
भाग द्वितीय: शून्य

7. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 08/2020 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	शून्य
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	रु 24,14,924.00
(ङ)	भण्डार	शून्य

भाग 2 ब

प्रस्तर 1 अनुबंध गठन मे विलंब एवं नियत अवधि मे कार्य समाप्त न होना ।

विधान सभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम अकौड़ा खुर्द ग्राम दरगाहपुर एवं बहालपुर को जोड़ने वाले मार्ग पर पथरी रोड पर 50 मीटर स्पान बॉक्स टाइप पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण, विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अंतर्गत ग्राम मोहम्मदपुर बुजुर्ग फाटक से शमशान घाट तक सड़क का Interlocking Concrete ब्लॉक पेवमेंट द्वारा निर्माण एवं जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलोर के आम खेड़ी से सोलानी नदी की पुलिया की ओर सी सी interlocking टाइल द्वारा मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण कार्यो हेतु रु 312.78 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2016 एवं 2017 मे प्रदान की गयी थी जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	तकनीकी स्वीकृति
1	विधान सभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम अकौड़ा खुर्द ग्राम दरगाहपुर एवं बहालपुर को जोड़ने वाले मार्ग पर पथरी रोड पर 50 मीटर स्पान बॉक्स टाइप पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण।	05/2017 रु 203.92 लाख	08/2018 रु 203.92 लाख
२	विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अंतर्गत ग्राम मोहम्मदपुर बुजुर्ग फाटक से शमशान घाट तक सड़क का interlockingconcrete ब्लॉक पेवमेंट द्वारा निर्माण	**05/2017** **रु 21.51 लाख**	**05/2017** **रु 21.51 लाख**
3	जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलोर के आम खेड़ी से सोलानी नदी की पुलिया की ओर सी सी interlocking टाइल द्वारा मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण।	**10/2016** **रु 87.35 lakh**	**10/2016** **रु 87.35 lakh**
	योग	**रु 312.78 लाख**	**रु 312.78 लाख**

उपरोक्त इंगित निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यो हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के 03 एवं अधीक्षण अभियंता स्तर के 01 (कुल 04 अनुबंध) जिनकी लागत रु 212.82 लाख थी, के गठित किए गए थे, अनुबन्धो के अंतर्गत कार्य अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2020 के मध्य समाप्त किए जाने थे जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	अनुबंध संख्या/लागत	कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथि	कुल भुगतान	वर्तमान स्थिति
1	विधान सभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम अकौड़ा खुर्द ग्राम दरगाहपुर एवं बहालपुर को जोड़ने	05/2017 रु 203.92 लाख	17/SE रु 149.20	22.10.18 एवं 21.10.19	फार्म 64 के अनुसार रु 11.74 लाख	अपूर्ण

	वाले मार्ग पर पथरी रोड पर 50 मीटर स्पान बॉक्स टाइप पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण।					
2	विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अंतर्गत ग्राम मोहम्मदपुर बुजुर्ग फाटक से शमशान घाट तक सड़क का interlocking concrete ब्लॉक पेवमेंट द्वारा निर्माण	**05/2017 रु 21.51 लाख**	**163/ई ई रु 12.37 लाख**	**10.01.19 एवं 9.7.19**	**रु 8.03 लाख**	**अपूर्ण**
3	जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलोर के आम खेड़ी से सोलानी नदी की पुलिया की ओर सी सी interlocking टाइल द्वारा मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण।	**10/2016 रु 87.35 lakh**	**59/EE रु 38.31 लाख** **06 /EE रु 12.94 लाख**	**14.10.19 एवं 13.04.20** 03.04.17 एवं 2.10.17	**रु 33.12 लाख** **रु 10.51 लाख**	**अपूर्ण** **अपूर्ण**
	योग	**रु 312.78 लाख**	**रु 212.82 लाख**		**रु 63.40 लाख**	

कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर मे कार्य निष्पादन से संबन्धित अभिलेखों की जांच (सितम्बर 2020) मे पाया गया कि-

1. विधान सभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम अकौड़ा खुर्द ग्राम दरगाहपुर एवं बहालपुर को जोड़ने वाले मार्ग पर पथरी रोड पर 50 मीटर स्पान बॉक्स टाइप पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य पर संप्रेक्षा अवधि तक कार्य की भौतिक प्रगति शून्य थी, जो इंगित करता था कि कार्य प्रारम्भ की तिथि से वर्तमान तक ठेकेदार कार्य करने मे विफल रहा था जबकि फार्म 64 के अनुसार कार्य पर कुल रु 11.74 लाख का भुगतान कार्य के विरुद्ध दर्शाया जा रहा था।
2. जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलोर के आम खेड़ी से सोलानी नदी की पुलिया की ओर सी सी interlocking टाइल द्वारा मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्यो हेतु गठित अनुबन्धो के सापेक्ष कार्य पर कुल भुगतान रु 43.63 लाख था एवं समस्त कार्य मदे अपूर्ण थी एवं

उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि अनुबंध संख्या 06/ईई मे तीन मदों हेतु ठेकेदार द्वारा र 10/- की दर दिये जाने एवं खंड द्वारा उनको स्वीकृत किए जाने के उपरांत भी उक्त कार्य हेतु एक दूसरा अनुबंध संख्या 59/EE उक्त मदों हेतु ही बढ़ी दरो (150,100,1050) कार्य निष्पादन हेतु गठित किया गया था।

3. विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अंतर्गत ग्राम मोहम्मदपुर बुजुर्ग फाटक से शमशान घाट तक सड़क का interlocking concrete ब्लॉक पेवमेंट द्वारा निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि ठेकेदार द्वारा कन्स्ट्रकशन ऑफ सब ग्रेड and earthen Shoulder एवं GSB कार्य के निष्पादन किए बगैर ही अन्य मदों का निष्पादन किया था जबकि उपरोक्त बेस कार्य मार्ग की मजबूती के लिए आवश्यक थे।
आगे उपरोक्त निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि कार्यो के स्वीकृति के उपरांत खंडीय स्तर से अनुबंध गठन मे विलंब किए जाने एवं निष्पादन मे विलंब के उपरांत भी न तो खंड द्वारा ठेकेदारो के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी थी एवं न ही कोई अर्थदण्ड आरोपित किया गया था जिसके फलस्वरूप उपरोक्त कार्यो पर व्यय राशि रु 63.40 लाख निष्फल रही थी एवं विभाग कार्य उद्देश्यों की प्राप्ति मे भी विफल रहा था।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि ग्रामीणो द्वारा विवाद किए जाने एवं वर्षात के कारण कार्य मे व्यवधान उत्पन्न हुआ है एवं कार्य पूर्ण कराने हेतु समयवृद्धि प्रकरण उच्चाधिकारियों को प्रेषित किए गए है तथा विवाद सुलझाने हेतु संबंधित को लिखा गया है। खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योकि उक्त निर्माण कार्यो हेतु समस्त आवश्यक स्वीकृतियाँ वर्ष 2016 से 2018 के मध्य ही प्राप्त होने के उपरांत भी खंडीय स्तर से अनुबंध गठन मे विलंब किए जाने कार्य निष्पादन के समय आने वाले विवादो आंकलन किए बगैर कार्य प्रारम्भ कराने के कारण संप्रेक्षा अवधि (09/2020) तक कार्य अपूर्ण रह गए थे एवं उक्त के उपरांत भी खंडीय स्तर से न तो समय वृद्धि स्वीकृत कराई गयी थी एवं न ही ठेकेदारो के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी थी।

अतः अनुबंध गठन मे विलंब एवं नियत अवधि मे कार्य समाप्त न होने के कारण अलाभकारी व्यय रु 63.40 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग II –'ब'

प्रस्तर 2 :**फ़र्म की जमानत जब्त की धनराशि रु** 7.31 **लाख की वसूली लंबित रहना तथा कार्य विलंब हेतु परिनिर्धारित नुकसान** (Liquidated Damage) **की धनराशि रु** 7.76 **लाख की कटौती न किया जाना।**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम संख्या 43 (3) में प्रावधानित है कि यदि कार्य संविदा की शर्तों में निहित समय से विलंब से किया जाय तो परिनिर्धारित नुकसान की धनराशि विशिष्ट रूप से इंगित दर पर उदगृहित की जाय, परंतु ऐसी धनराशि संविदा के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। निविदा दस्तावेज में ही चिन्हित कमियों, गलतियों, उपेक्षाओं, कृत्यों आदि का उल्लेख कर स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वरूप में दण्ड प्रस्तावित किया जाय।

कार्य हेतु गठित अनुबंध के GCC/PCC clause 4.5 के अनुसार "If the whole work upto the forth milestone is not completed within the scheduled or rescheduled time, all the withheld amount of 10% shall be recovered from the contractor from any money due to him by the Government under this contract or any other account what so ever. Otherwise the same will be recoverable as an arrear of land revenue through contractor.

राज्य योजना 2017-18 (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-408/2017) के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर के ग्राम सुल्तानपुर से ग्राम नेहन्दपुर होते हुये ग्राम भिक्कमपुर तक मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 523(ए)/III(2)/17-34 (एमएलए)/2017 दिनाँक 24.05.2017 द्वारा 5.200 किमी हेतु रु 127.62 लाख की प्रदान की गयी थी। कार्य की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग हरिद्वार द्वारा लंबाई 5.186 किमी हेतु रु 126.83 लाख की 20/06/2018 को प्रदान की गयी। उपरोक्त मार्ग लगभग सात वर्ष पूर्व निर्मित था जिसके कुछ भाग में पीसी का कार्य व आबादी भाग में सीसी का कार्य हुआ था जो कि विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग लक्सर, जनपद हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त कार्य के सम्पादन हेतु आमंत्रित निविदा प्रक्रिया में प्रथम न्यूनतम निविददाता मै. एस. के. कोंट्रेक्टर्स (विभागीय दरों से 37.51% कम) द्वारा परफ़ोर्मेंस एवं अतिरिक्त परफ़ोर्मेंस सिक्योरिटी की धनराशि समय पर जमा न करने पर निविदा निरस्त कर दी गयी थी तथा फर्म/ठेकेदार की जमानत धनराशि रु 2.40 लाख को जब्त करते हुये राजकोष में

जमा करने के आदेश (अगस्त 2018) पारित किए गए थे। मै. एस. के. कोंट्रेक्टर्स द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु जमानत राशि के रूप में जमा की गयी देना बैंक की एफ़.डी.आर. Fake पायी गयी थी। इसके साथ-साथ उक्त फर्म द्वारा अन्य तीन कार्यों हेतु भी निविदा दी गयी थी जो कि न्यूनतम पाये जाने की दशा में स्वीकार कर ली गयी थी परंतु फर्म द्वारा समयान्तर्गत अनुबंध की औपचारिकताये पूर्ण न किए जाने के कारण जमानत राशि जब्त करने के आदेश पारित किए गए थे। इनकी जमानत राशियों से संबन्धित एफ़.डी.आर. भी Fake पाये गए थे। इस प्रकार फर्म द्वारा जमा की गयी धनराशि रु 7.31 लाख की सभी चार एफ़डीआर Fake थी जिन्हे राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित था (अगस्त 2018)। परंतु लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त धनराशि की वसूली नहीं की जा सकी थी।

प्रथम न्यूनतम निविदादाता फर्म की निविदा निरस्त करने के उपरांत खंड द्वारा द्वितीय न्यूनतम निविदादाता फर्म **मै. युनुस अंसारी** (विभागीय दरों से 29.02% कम पर) के साथ उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु रु 77.61 लाख की धनराशि का अधीक्षण अभियन्ता स्तर का एक अनुबंध (18/एस0ई0-हरि/2018-19 दिनांक 22.10.2018) गठित किया गया। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 22.10.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 21/07/2019 थी। लेखापरीक्षा तिथि (**सितम्बर** 2020) तक उपरोक्त अनुबन्ध के सापेक्ष भुगतानित चतुर्थ चालू देयक (वाउचर संख्या 05 दिनांकित 10 जून 2020) के अनुसार रु 62.26 लाख (जीएसटी रहित) का कार्य संपादित किया गया था तथा कुछ मदों (Cement Concrete Pavement,Construction of sub-grade and earthen shoulders, Brick on edge pavement)पर कार्य करवाया जाना बाकी था। उक्त से स्पष्ट था कि फ़र्म द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु निर्धारित अवधि के एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी कार्य को पूर्ण नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप जनमानस को उक्त के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। परंतु खण्ड द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक ठेकेदार को भुगतान किए गए बिल से कोई भी न तो कोई धनराशि withheld की गयी थी और न ही liquidated damage की धनराशि रु 7.76 लाख (10% of the Contract price) की वसूली की गयी थी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि Fake FDR के सम्बन्ध में मै. एस. के. कोंट्रेक्टर्स के विरुद्ध एफ़आईआर दर्ज करवायी गयी है तथा धनराशि रु 7.31 लाख की वसूली की कार्यवाही की जा रही है। कार्य के समय पर पूर्ण न किए जाने के फलस्वरूप Liquidated damage की वसूली के संबंध में बताया गया है कि कार्य पूर्ण कर लिया गया है, ठेकेदार की Performance/Additional Performance की धनराशि खंड के पास

उपलब्ध है तथा 20 अगस्त 2020 तक का समयवृद्धि प्रकरण उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। इसीलिए कोई धनराशि Withheld नहीं की गयी है।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि Fake FDR के प्रकरण में दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी वसूली नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त यदि कार्य अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार निहित समय से विलंब से पूर्ण किया जाय तो परिनिर्धारित नुकसान की धनराशि उदगृहित कर दी जानी चाहिए थी।

अतः फ़र्म की जमानत जब्त की धनराशि रु 7.31 लाख की वसूली लंबित रहने तथा कार्य विलंब हेत परिनिर्धारित नुकसान (Liquidated Damage) की धनराशि रु 7.76 लाख की कटौती न किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II –'ब'

प्रस्तर 3 : ठेकेदारों के बिलों से निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष रॉयल्टी की धनराशि रु 843569 /- की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या 162/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक18.01.2013 तथा उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19.05.2016 के अनुसार निर्माण कार्यों में नदी तल अथवा भिन्न स्थानों से ली जाने वाली निर्माण सामग्री की स्वामित्व (रायल्टी) की कटौती करके नियमानुसार संम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा कराई जानी चाहिए। लोक निर्माण विभाग में प्रचलित प्रथा के अनुसार ठेकेदारों द्वारा बिलों के साथ निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों की मात्रा के सापेक्ष प्रपत्र "J" अथवा "MM 11" उपलब्ध करवाए जाते है जिनके आधार पर रॉयल्टी की छूट प्रदान की जाती है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर के चयनित माह (अक्टूबर 2020) की रोकड़ बही एवं बिल/वाऊचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा ठेकेदारों के बिलों से निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष रॉयल्टी की कटौतियाँ नहीं की गयी है जबकि उपरोक्त के सम्बन्ध में ठेकेदारों द्वारा उक्त कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष कोई भी आवश्यक प्रपत्र (Form J or MM-11) उपलब्ध नहीं करवाए गए: -

(रु में)

क्र. सं.	ठेकेदार का नाम	अनुबंध संख्या	वाऊचर संख्या (अक्टूबर 19)	आगणित रॉयल्टी की धनराशि	देयक से काटी गयी रॉयल्टी की धनराशि/ प्रस्तुत प्रपत्र	कम काटी गयी धनराशि
1.	M/s AlijanThekedar	53/AE-I/17-18	05/01 Oct 19	34262.00	0	34262.00
2.	M/s Triveni Consultants	29/SE-HRD/2019	23/09 Oct 19	266720.00	0	266720.00
3.	ShriPradeep Kumar	125/AE-III/2018-19	29/10 Oct 19	9526.00	2983+ 2983	3560
4.	Md. Yunus Ansari	18/S.E./2018-19	56/19 Oct 19	131424.00	0	131424.00
5.	M/s Gullu Associates	28/SE (Hari)/18-19	66/20 Oct 19	141035.00	0	141035.00
11.	M/s ShyamLal Const.	21/EE/2019-20	87/21 Oct 19	43639.00	0.00	43639.00
12.	M/s Gufraan Ali	179/EE/2018-19	93/21 Oct 19	47490.00	34358.00	13132.00
13.	M/s Sahazad Khan	138/AE/2017-18	118/23 Oct 19	37385.00	0	37385.00
14.	M/s Habbu	20/EE/2019-20	120/24 Oct 19	57017.00	0	57017.00
15.	M/s Dheeraj Contractors	65/EE/2017-18	121/24 Oct 19	62802.00	0	62802.00
16.	M/s Gany Construction Co.	186/EE/2018-19	122/24 Oct 19	52593.00	0	52593.00
			Total =	**883893**	**40324**	**843569**

उपरोक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि देयकों से संबन्धित रॉयल्टी अभिलेखों की जाँच के उपरांत आवश्यक कटौती कर ली जाएगी। खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खंड द्वारा देयकों का भुगतान करते समय समस्त कटौतियों की जाँचोपरान्त कटौती करने के पश्चात ही भुगतान किया जाना चाहिए था।

अतः ठेकेदारों के बिलों से निर्माण कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष रॉयल्टी की धनराशि रु **843569/-** की कटौती न किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग –III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/ वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग दो – अ	भाग दो – ब
1	52/2017-18	-	1, 2
2	52/2019-20	-	2,3,4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			खण्ड द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतिवेदन संख्या 52/2019-20 के भाग2(अ) के प्रस्तर संख्या 01 एवं भाग2(ब) के प्रस्तर संख्या 01 के निस्तारण सम्बन्धी साक्ष्यों का सत्यापन करवाया गया। तथा अवगत करवाया गया कि उपरोक्त वर्णित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या का अद्यतन कर उच्चाधिकारियों के माध्यम से प्रेषित कर ली जाएगी। अतः उक्त अनिस्तारित प्रस्तरों को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता,निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग,लक्सर, जनपद – हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

- शून्य -

2. सतत् अनियमितताएः

- शून्य -

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री महिपाल सिंह रावत	अधिशासी अभियंता	09.01.2019 से 01.05.2020 तक
श्री सत्यबीर सिंह त्यागी	अधिशासी अभियंता	01.05.2020 से 21.05.2020 तक
श्री चन्दन सिंह नेगी	अधिशासी अभियंता	21.05.2020 से वर्तमान तक

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री ओम प्रकाश मीणा	खंडीय लेखाधिकारी–I	02.08.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर, जनपद – हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर गयी है कि उक्त की अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर उप महालेखाकार/ एएमजी-II को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)